

NO:- 4619



सत्यमेव जयते

## संस्थाओं के निबंधन का प्रमाण -पत्र

( एक्ट 21. 1860 )



संख्या 4619-1374

वर्ष 2017

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि

" जयमती सुदन एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रस्ट "

सोसाइटी/ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत निबंधित हुआ/हुई ।

आज तारीख 04 मास नवंबर वर्ष दो हजार चौदह को रांची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

गवर्नमेंट पेंस , रांची ।



वारंटेड सहायनिक निबंधन झारखण्ड रांची

1374 Trust deed .24



PS. Ramgarh  
झारखण्ड JHARKHAND

87 500 = 00  
B 797756

नियम 21 के अधीन ग्राह भारतीय स्टाम्प अधिनियम (इंडियन स्टाम्प एक्ट) 1899 के अनुसूची 1 यदि 1 के सं० की अधीन यथावत स्टाम्प सहित (या स्टाम्प शुल्क से विमुख या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं) ता०.....20.....

Stamp Paid-  
Area- 750 = 00  
Anchal-  
Rent- 2000 = 00  
Fees Paid- 2750 = 00  
Al-  
LL-

पुनरीक्षित न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका पंजी में वाईवार/ मूल्य से मिलान किया। न्यूनतम मूल्य से कम नहीं।

अन्तर् निबंधन पदाधिकारी

**TRUST DEED**

ट्रस्ट का नाम :- जयमनी सुदन एजुकेशन एण्ड हेल्थ ट्रस्ट।  
ग्राम- कोरचे, पो०- कोरचे, थाना- रजरप्पा, जिला- रामगढ़ पिन- 825101

न्यासकर्ता सह अध्यक्ष- (1) उषा देवी पति श्री कमलेश कुमार सिंह, उम्र - 44 वर्ष निवासग्राम- कोरचे, पो०- कोरचे, थाना- रजरप्पा जिला- रामगढ़ (झारखण्ड) पिन- 825101 आधार न०- 3628 7611 4349

सचिव- (2) संतोषी देवी पति श्री अनिल सिंह, उम्र - 34 वर्ष निवासग्राम- कोरचे, पो०- कोरचे, थाना- रजरप्पा जिला- रामगढ़ (झारखण्ड) पिन- 825101 आधार न०- 8455 3667 7157

कोषाध्यक्ष- (3) श्रीकान्त सिंह पिता स्व० बदन सिंह, उम्र - 49 वर्ष, निवासग्राम- लावालौंग, पो०- कोरचे, थाना- रजरप्पा, जिला- रामगढ़ (झारखण्ड) पिन- 825101 आधार न०- 5423 0201 0085

Usha Devi  
06/11/17  
पिता- 090 सुदन सिंह  
2110 - 8122



सदस्य - (4) करुणा देवी पति श्री अजय कुमार सिंह, उम्र - 25 वर्ष,  
निवासग्राम- बानासांडी पो0- सिमरिया, थाना- सिमरिया, जिला- चतरा  
(झारखण्ड) पिन- 825103 आधार न0- 8913 2540 2143

सदस्य - (5) गोविन्द महतो पिता स्व0 कारीनाथ महतो, उम्र - 65 वर्ष,  
निवासग्राम- नया कोरचे, पो0- कोरचे, थाना- रजरप्पा, जिला- रामगढ़  
(झारखण्ड) पिन- 825101 आधार न0- 4683 9565 7716

निबंधित कार्यालय - जयमनी सुदन एजुकेशन एण्ड हेल्थ ट्रस्ट।  
ग्राम- कोरचे, पो0- कोरचे, थाना- रजरप्पा, जिला- रामगढ़ (झारखण्ड)  
पिन- 825101  
(सुविधा के लिये अन्य क्षेत्रों में भी कार्यालय खोले जाएंगे जो निबंधित  
कार्यालय के नियंत्रण एवं अधीन में रहकर कार्यों को सम्पादित करते रहेंगे)

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

ट्रस्ट की शुद्ध पूंजी :- 25,000/- पच्चीस हजार रूपया मात्र।

ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्य है।

1. शिक्षा प्रसार के निमित्त शिक्षण, प्रशिक्षण, चिकित्सालय और शोध संस्थान को स्थापित करना एवं संचालन करना।
2. शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरुक करना।
3. निरक्षरता उन्मूलन हेतु प्रौढ़ शिक्षा एवं बाल श्रमिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर शिक्षा तथा स्वास्थ्य शिक्षा को प्रोत्साहन देना एवं सम्पादन करना।
4. समाज के रचनात्मक कार्यों के प्रति लोगों में जागरुकता लाना।

Usha Devi  
08/11/17

विद्याल सुप्ता  
15/11/17  
नियो कर

5. पर्यावरण की सुरक्षा हेतु वृक्ष लगाना तथा वृक्षों की कटाई को रोकना।
6. कार्यक्षेत्र के विकास कार्यों के लिए स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाना।
7. कानूनी जागरूकता पैदा करना।
8. पंचायती राज व्यवस्था का प्रचार-प्रसार करना।
9. आमजन के लिए सरकारी या गैरसरकारी विभागों से प्राप्त सुविधाओं की रक्षा करना तथा उनका उपयोग सामान्य उद्देश्यों को पूर्ण करने के प्रति जागरूक करना।
10. छात्रों और प्रशिक्षणार्थियों हेतु छात्रावासों और आवासीय संस्थानों की स्थापना और उसका रखरखाव बनाये रखना।
11. मानसिक, शारीरिक और नैतिक उत्थान के लिये छात्रों और संस्थान से जुड़े लोगो में स्वस्थ और बेहतर व्यवहार का विकास करना।
12. टी.बी, मलेरिया आदि रोगो के रोकथाम हेतु उपचार केन्द्र का संचालन करना।
13. एड्स एवं कुष्ठ रोगो के रोकथाम हेतु कार्य करना एवं उनके पुर्नवास हेतु भारत सरकार तथा अन्य विदेशी एजेन्सियों से दान प्राप्त करना।
14. शिक्षण संस्थानों एवं स्वास्थ्य (हेल्थ) में होने वाले खर्च और उसके विकास को ध्यान में रखते हुये शिक्षण व विकास शुल्क लेना।
15. लोगो को उनके पैरों पर खडा होने के लिये उन्हे प्रशिक्षित करना ताकि वे बेहतर विकास और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर विकासशील नागरिक बनें।
16. अनुशासनात्मक आचरण और आदतों का विकास करना ताकि कानून का अनुशरण कर सकें।
17. संस्थान से जुड़े लोगों और छात्रों के पाठयक्रमों में शामिल यात्रा और शैक्षणिक भ्रमण एवं स्वास्थ्य सम्बंधी कार्यक्रमों का आयोजन करना ताकि उन्हे आविष्कारिक और शोध सम्बंधी ज्ञानवर्धन हो और आगे चलकर वे स्थापित हों।
18. ट्रस्टी स्वतंत्र रूप से किसी भूमि, भवन या चल-अचल सम्पति (जो उसके उपयुक्त लगेगा) नियमों और शर्तों के तहत खरीदने का अधिकारी होगा।

Usha Devi  
06/11/17

19. प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय के साथ महाविद्यालय का संचालन एवं प्रबंधन 'जयमनी सुदन' के नाम से जाना जाएगा जो जयमनी सुदन एजुकेशन एण्ड हेल्थ ट्रस्ट के अधीन कार्यरत होगा।

**5. संचालन एवं प्रबंधन :-**

1. यह संस्था पूर्णतः गैर राजनीतिक स्वयंसेवी संस्था है जो समर्पित सेवा भाव से लोक कल्याणार्थ गठित किया गया है।
2. अध्यक्ष संस्था का आजीवन स्थायी सदस्य होगा।
3. अध्यक्ष के मरणोपरान्त उसका उत्तराधिकारी (वारिस) स्वतः स्थायी सदस्य होगा।
4. न्यासीगण अस्थायी सदस्य होंगे।

**कार्यकारिणी समिति के कार्य एवं अधिकार :-**

1. सदस्यता ग्रहण हेतु प्राप्त आवेदन को स्वीकार एवं अस्वीकार करना ट्रस्ट के नीति निर्धारण तथा दैनिक कार्य सम्पादन पर विचार करना, ट्रस्ट के लिए कार्यालय प्रभारी मनोनीत करना, तथा आवश्यकतानुसार कार्यकर्ता की नियुक्ति करना, ट्रस्ट के लिए चल एवं अचल सम्पत्ति के प्रति उत्तरदायी होना, संगठन के संचालन हेतु आवश्यक धन संग्रह करना, ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वैधानिक कार्य करना, वार्षिक कार्ययोजना एवं अनुमानित आय-व्यय का बजट पास करना तथा आमसभा के समक्ष स्वीकृति के लिए रखना, ट्रस्ट के नियम के विरुद्ध आचरण करने वाले सदस्यों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना।
2. किसी भी सदस्य या पदाधिकारी के स्वयं त्यागपत्र देने पर पद रिक्त समझा जाएगा। रिक्त पद पर कार्यकारिणी दूसरे सदस्य को शेष अवधि के लिए मनोनीत करेगी।
3. सदस्य का मनोनयन अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा।
4. अध्यक्ष परम्परागत चयनित होंगे एवं उनके द्वारा ही सदस्यों को बढ़ाया जायेगा। अन्य पद समय-समय पद बदलते रहेंगे।

**आमसभा के कार्य एवं अधिकार :-**

ट्रस्ट की आमसभा कार्यकारिणी समिति के सभी पदाधारी एवं न्यासी सदस्यगण तथा ट्रस्ट के साधारण सदस्यों से निर्मित होगी। न्यास का अंकेक्षक पदेन सदस्य होगा।

1. आमसभा न्यास का सर्वोच्च नीति निर्धारण का प्राधिकार होगा किन्तु कार्यकारिणी समिति अथवा इसके पदाधिकारियों के दैनिक कार्यसंचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

Usha Devi  
06/11/17

2. पदाधिकारी सहित कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन।
3. ट्रस्ट की योजना, बजट, अंकक्षित लेखा एवं प्रतिवेदन को पारित करना।
4. ट्रस्ट की लेखा के अंकक्षण हेतु अंकक्षक की नियुक्ति करना।
5. ट्रस्ट को स्मृति-पत्र एवं नियमावली में संशोधन लाना।
6. ट्रस्ट के विघटन पर निर्णय अध्यक्ष के द्वारा होगी।

**सदस्यता ग्रहण की शर्तें :-**

ट्रस्ट के नियम एवं अनुशासन को मानने वाले हो, सदस्यता शुल्क, मासिक शुल्क जमा करके ट्रस्ट द्वारा निर्धारित संकल्प पत्र भरकर सदस्य बनेंगे, जो अच्छे कार्य या व्यवसाय करते आ रहें हों, जिन्हें ट्रस्ट के पदाधिकारीगण अच्छी तरह से जानते हों।

**ट्रस्ट की सदस्यता की समाप्ति :-**

कार्यक्षेत्र से हट जाने पर, सदस्यता के त्याग पत्र देने पर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने पर, न्यायालय द्वारा दंडित होने पर, लगातार तीन माह तक सदस्यता शुल्क नहीं जमा करने पर तथा लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त होगी। न्यासीगण के विरुद्ध भी यह नियम लागू होगा।

**आमसभा की बैठक :-**

1. आमसभा की बैठक प्रत्येक चार माह में एक बार होगी तथा आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।
2. आमसभा के 1/3 सदस्यों के लिखित माँग, जिसमें अधियाचना करने वाले सदस्य को हस्ताक्षर एवं बैठक में विचारणीय बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख रहेगा, पर अधियाचना प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलाई जायेगी तब अधियाचना करने वाले सदस्य को अधिकार होगा कि वे आमसभा के सभी सदस्यों को सूचना भेजकर आमसभा की अधियाचित बैठक अधियाचना में अंकित विषय पर निर्णय ले सकते हैं।

Usha Devi  
06/11/17

**कोरम :-** आमसभा की सभी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक होगा।

**बैठक की सूचना :-**

1. आमसभा की सभी बैठकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम-से-कम तीन दिन पूर्व दी जायेगी।
2. बैठक की सूचना निबंधित डाक या सूचना बही में हस्ताक्षर प्राप्त करके दी जायेगी।

**कार्यसमिति की बैठकें :-** कार्यसमिति की बैठक प्रतिमाह होगी। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बैठक बुलाई जा सकती है।

**आय का श्रोत :-** प्रवेश शुल्क, सदस्यता शुल्क, चन्दा, दान, सरकारी अनुदान, सामान्य या बैंक द्वारा ऋण तथा नैतिक दान। उपार्जित आय की सभी की सभी राशि के लिए ट्रस्ट रसीद देगी।

**कोष की व्यवस्था/बैंक खाते का संचालन :-** ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली सभी राशियाँ ट्रस्ट के नाम से किसी राष्ट्रीकृत बैंक/डाकघर में खुले खाते में रखी जायेंगी तथा किसी भी रकम की निकासी ट्रस्ट के अध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा सचिव या कोषाध्यक्ष में से किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा की जाएगी।

**अंकेक्षण :-** ट्रस्ट के लेखा का संधारण नियमित रूप से रखा जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से उसका अंकेक्षण कराया जायेगा।

**संसोधन :-** ट्रस्ट के स्मृति पत्र एवं नियमावली में कोई भी संशोधन ट्रस्ट की आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा। किन्तु ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्यों का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

**वित्तीय वर्ष :-** ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का प्रत्येक वर्ष का होगा।

**ट्रस्ट का विघटन :-** ट्रस्ट की समाप्ति की स्थिति में भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (एक्ट II/1882) के प्रावधानों के अनुसार न्यास समाप्त किया जा सकता है। उक्त स्थिति में न्यास की सारी सम्पति समान उद्देश्य वाली किसी निबंधित संस्था/ट्रस्ट या झारखण्ड सरकार को दे दी जाएगी।

Usha Devi  
06/11/17